राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।

आ दे श

श्रीमती अमृता शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य
(एकलपीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या-1835/2012)

31.05.2012

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री हरेन्द्र सिंह सिनसिनवार, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थिनी।
श्री पीयुष कुमार, लोकअभियोजक वास्ते राज्य।

प्रार्थिनी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-482 के अन्तर्गत यह दाण्डिक विविध याचिका इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-13,जयपुर महानगर, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक- 28.5.2012 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है जिसके द्वारा प्रार्थिनी एवं प्रतिपक्षी क्रम-2 के मध्य हुए राजीनामे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-406 के अन्तर्गत तो तस्दीक कर दिया है, किन्तु 498(A), भारतीय दण्ड संहिता का अपराध अशमनीय प्रकृति का होने के आधार पर पक्षकारों को उसमें राजीनामे की अनुमति नहीं दी है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है प्रार्थिनी एवं परिवादी के मध्य सुलह हो गई है एवं तदनुसार उन्होंने महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-13,जयपुर महानगर, जयपुर के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत कर उनके समक्ष विचाराधीन दाण्डिक वाद में उन्हें राजीनामे की अनुमति प्रदान करते हुए उसे समाप्त करने की प्रार्थना की थी जो आक्षेपित आदेश द्वारा धारा-498(A), भारतीय दण्ड संहिता के अपराध की सीमा तक निरस्त कर दी है।

सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का आद्योपांत अनुशीलन किया गया।

यह स्वीकृत तथ्य है कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है, किन्तु विचाराण न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498(A) का अपराध अशमनीय प्रकृति का होने के आधार पर पक्षकारों को उसके सम्बन्ध में प्रकरण में राजीनामे की अनुमति प्रदान नहीं की है।जिससे व्यथित होकर प्रार्थिनी ने इस

न्यायालय में यह दाण्डिक विविध याचिका संस्थित की है।

परिणामत: यह दाण्डिक विविध याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-13,जयपुर महानगर, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक-28.5.2012 भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498(A) के सम्बन्ध में दिए गये निर्देश की सीमा तक अपास्त किया जाता है।चूंकि पक्षकारों द्वारा राजीनामा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है एवं राजीनामा इस न्यायालय के समक्ष नहीं है। अत: महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-13,जयपुर महानगर, जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि यदि पक्षकारान भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498(A)के अन्तर्गत भी उनके मध्य हुए राजीनामे को तस्दीक कराने हेतु पुन: कोई संयुक्त प्रार्थना पत्र उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो वह उनके समक्ष विचाराधीन दाण्डिक प्रकरण संख्या-30/2010 में पक्षकारों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498(A)अन्तर्गत भी राजीनामे की अनुमति प्रदान करेगे एवं उक्त राजीनामा तस्दीक करते हुए उनके समक्ष विचाराधीन दाण्डिक प्रकरण संख्या-30/2010 में कार्यवाही समाप्त करते हुए पत्रावली को दाखिल दफ्तर करेंगे।

(न्या. महेश चन्द्र शर्मा)

एमसीएस.

"All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed"

Mahesh Chandra Sharma

P.S.